

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी-भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 20-27 / 2015 / 11 / (6)

रायपुर दिनांक 18.05.2015

प्रति,

✓ संचालक उद्योग,
उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़,
रायपुर ।

विषय:- औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन बाबत औद्योगिक नीति 2014-19 अथवा औद्योगिक नीति 2009-14 का विकल्प लेने बाबत ।

उपरोक्त विषय में राज्य सरकार की औद्योगिक नीति 2014-19 (दिनांक 01 नवम्बर 2014 से प्रभावी) के बिन्दु क्रमांक 15.19 में निम्नानुसार प्रावधान है :-

“जिन सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद औद्योगिक इकाईयों, मेगा प्रोजेक्ट तथा अति वृहद/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स उद्योगों ने नियत दिनांक 01.11.2014 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु वैध ई.एम. पार्ट -1/आई.ई.एम./आशय पत्र/औद्योगिक लायसेन्स धारित किया हो अथवा राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित किया हो एवं एमओयू जीवित हो किंतु औद्योगिक नीति 2009-2014 की कालावधि समाप्त होने के दिनांक 31 अक्टूबर 2014 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया हो, उन्हें 31 अक्टूबर 2015 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर औद्योगिक नीति 2009-2014 में प्रावधानित अनुदान/छूट/रियायतें प्राप्त करने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा ।”

उपरोक्त प्रावधान को लागू करने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था लागू की जाती है :-

जो औद्योगिक इकाईयाँ औद्योगिक नीति 2009-14 की कालावधि (दिनांक 01.11.2009 से 31.10.2014 की अवधि) में वैध ई.एम. पार्ट-1/आई.ई.एम./आशय पत्र/औद्योगिक लायसेंस धारित हैं या राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित किया है व वैध है किन्तु 31 अक्टूबर 2014 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ है उनसे संलग्न प्रारूप में विकल्प लिया जावे ।

2- विकल्प संबंधी पत्र पर औद्योगिक इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए ।

3- एक बार लिया गया विकल्प अंतिम होगा एवं इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

4- विकल्प औद्योगिक नीति 2014-19 अथवा औद्योगिक नीति 2009-14 के अंतर्गत वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात देय अनुदान, छूट एवं रियायतों पर समग्र रूप से लागू होगा अर्थात् किसी औद्योगिक इकाई ने औद्योगिक नीति 2009-14 का विकल्प लिया है तो उन्हें औद्योगिक नीति 2009-14 में पात्रता अनुसार प्रावधानित समस्त अनुदान, छूट एवं रियायतें प्राप्त होंगी एवं यदि किसी औद्योगिक इकाई ने औद्योगिक नीति

18
18 MAY 2015
596
19.05.15

2014-19 का विकल्प लिया है तो उन्हें औद्योगिक नीति 2014-19 में पात्रता अनुसार प्रावधानित समस्त अनुदान, छूट एवं रियायतें प्राप्त होंगी।

5- आंशिक विकल्प (कुछ अनुदान, छूट, रियायतें औद्योगिक नीति 2009-14 की एवं कुछ अनुदान, छूट, रियायतें औद्योगिक नीति 2014-19 की) स्वीकार नहीं किया जावे ।

6- जिन पात्र उद्योगों ने औद्योगिक नीति 2009-14 का विकल्प लिया है एवं वे उद्योग 31 अक्टूबर 2015 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं कर सके हैं व इस तिथि के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करते हैं, तो उन्हें औद्योगिक नीति 2014-19 में घोषित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अनुदान, छूट एवं रियायतों की पात्रता होगी किन्तु उन्हें औद्योगिक नीति 2009-14 एवं औद्योगिक नीति 2014-19 में दी जाने वाली अनुदान, छूट एवं रियायतों के अंतर की राशि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तत्समय में लागू पी0एल0आर0 की दर से निर्धारित ब्याज के साथ जमा करना होगा अन्यथा भू-राजस्व के सदृश्य वसूली की जा सकेगी । छूट की अवधि से संबंधित प्रकरणों में समायोजन किया जा सकेगा ।

7- उपरोक्तानुसार औद्योगिक नीति 2009-14 अथवा 2014-19 का विकल्प पत्र इकाईयों द्वारा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 जून 2015 होगी, तत्पश्चात् विकल्प प्रस्तुतिकरण का प्रावधान लागू नहीं रहेगा एवं इकाई के प्रकरणों पर तत्समय प्रवृत्त नियमावली के अनुरूप कार्यवाही की जावे।

(सुबोध कुमार सिंह)
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

विकल्प-पत्र
(औद्योगिक नीति 2014-19 के बिन्दु क्रमांक 15.19 के तहत)

प्रति,

उद्योग आयुक्त/संचालक,
उद्योग संचालनालय, रायपुर/
मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, ।

विषय:- औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन बाबत औद्योगिक नीति 2014-19 अथवा औद्योगिक नीति 2009-14 का विकल्प लेने बाबत ।

विकल्प-पत्र
(औद्योगिक नीति 2014-19 के बिन्दु क्रमांक 15.19 के तहत)

मैं आत्मज
प्रोपायटर/साझेदार/संचालक/सदस्य/अधिकृत प्रतिनिधि
.....घोषित करता हूँ कि -

- 1- औद्योगिक नीति 2014-19 के बिन्दु क्रमांक 15.19 का अध्ययन कर लिया है ।
- 2 (अ) औद्योगिक नीति 2014-19 के प्रावधान बिन्दु क्रमांक 15.19 के संदर्भ में औद्योगिक इकाई द्वारा औद्योगिक नीति 2009-14 में प्रावधानित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अनुदान, छूट, रियायतों का विकल्प लिया जाता है ।

या

(ब) औद्योगिक नीति 2014-19 के प्रावधान बिन्दु क्रमांक 15.19 के संदर्भ में औद्योगिक इकाई द्वारा औद्योगिक नीति 2014-19 में प्रावधानित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अनुदान, छूट, रियायतों का विकल्प लिया जाता है ।

3- यदि बिन्दु क्रमांक 2(अ) के तहत लिये गये विकल्प के तहत औद्योगिक इकाई द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर 2015 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया जाता है व इस तिथि के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करते हैं, तो औद्योगिक नीति 2014-19 में घोषित अनुदान, छूट एवं रियायतें प्रदान की जावे । इस हेतु यह भी शपथ पत्र दिया जाता है कि औद्योगिक नीति 2009-14 के आधार पर लिये गये अनुदान/रियायत/छूट के अंतर की राशि का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तत्समय में लागू पी0एल0आर0 की दर से निर्धारित ब्याज के साथ किया जायेगा ।

4- यह भी शपथपूर्वक घोषित किया जाता है कि औद्योगिक नीति 2009-14 अनुसार विकल्प लिये जाने पर यदि दिनांक 31-10-2015 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया जाता है/पश्चात्पूर्ती अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होता है तथा उद्योग औद्योगिक नीति 2014-19 में संतृप्त श्रेणी के उद्योगों में सम्मिलित हैं तो औद्योगिक नीति

2009-14 में प्रावधानित अनुदान/छूट/रियायतें प्राप्त की है, उनके बराबर राशि व भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तत्समय में लागू पी0एल0आर0 की दर से निर्धारित ब्याज के साथ जमा किया जायेगा ।

5- छूट की अवधि से संबंधित प्रकरणों में अंतर की अवधि का समायोजन / संशोधन किये जाने की सहमति दी जाती है ।

स्थान :

दिनांक:

हस्ताक्षर

नाम

पद

औद्योगिक इकाई का नाम व पता

सील